

क्षेत्रीय कार्यालय - सागर पता: क्षेत्रीय कार्यालय: 7 शिविल लाइंस, यूनिवर्सिटी रोड, सागर (म.प्र.)

सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8 (6) के अधीन 15 दिनों की विक्रय सूचना

प्रति,
श्री रवि सोनी पिता श्री श्रीकृष्ण सोनी
पता - खसरा क्रमांक 190/3, प.ह.नं. 71, शिवाजी वार्ड नं. 08, दुर्गा नगर कॉलोनी, रजाखेड़ी, मकरोनिया, तह. व जिला सागर (मध्यप्रदेश)-470004

विषय: ई - नीलामी विक्रय नोटिस- ऋण खाता - श्री रवि सोनी पिता श्री श्रीकृष्ण सोनी

खाता सं.	खाता प्रकार	संबंधित ऋण नाम	ऋण राशि
5269735513	सावधि ऋण	श्री रवि सोनी पिता श्रीकृष्ण सोनी	रु. 22,50,000/-

जबकि आप उपरिनिदिष्ट ऋणकर्ता/जमानतदार/संपत्ति बंधककर्ता है एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम के सहपठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) अंतर्गत जारी नोटिस दिनांक 01/01/2024 (श्री रवि सोनी तथा तत्पश्चात धारा 13(4) के अंतर्गत जारी कब्जा नोटिस दिनांक 16/03/2024 (प्रकाशन - 22/03/2024 दैनिक भास्कर एवं सेंट्रल क्रॉनिकल) की सूचना के बावजूद आज दिनांक तक बकाया रकम का प्रतिदाय करने में असफल रहने पर, प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते उक्त अधिनियम तथा नियमों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिभूत आस्ति/स्थावर संपत्ति का विक्रय नीलामी के माध्यम से दिनांक 31/08/2026(सुबह 10 बजे से) किया जाना प्रस्तावित है। नीलामी सूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों दैनिक भास्कर एवं नई दुनिया में दिनांक 15/08/2026 को किया जाना है।

एतद्वारा आपको 15 दिनों का नोटिस दिया जाता है कि आप बकाया राशि के साथ सभी व्यय प्रभार तथा लागत का भुगतान कर प्रतिभूति का मोचन कर लें अन्यथा अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते उक्त अधिनियम के प्रावधानों तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार बकाया राशि की वसूली हेतु उपरोक्त निर्धारित तिथि को नीलामी की प्रक्रिया की जाएगी।

स्थावर संपत्ति का विवरण:

संपत्ति क्र.	ऋण खाता/ ऋणी/ प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार	मांग/ बकाया राशि	साम्यबंधक अचल संपत्तियों का विवरण
1	मे. रवि सोनी पिता श्री श्रीकृष्ण सोनी संबंधित शाखा: सागर केंद्र (म.प्र.)	रु. 23,53,014/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	साम्य बंधक भूमि/भवन: खसरा नं 190/3 प.ह.नं. 71, शिवाजी वार्ड नं 08, दुर्गा नगर कोलोनी, मकरोनिया, जिला सागर मध्य प्रदेश । कुल क्षेत्रफल 690 वर्गफुट चतु:सीमा - उत्तर: सुनीता चौरसिया का मकान, पूर्व: 15 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण: स्वपनिल जैन का मकान, पश्चिम: चौधरी का मकान । संपत्ति स्वामी श्री रवि सोनी पिता श्री श्रीकृष्ण सोनी आरक्षित मूल्य : रु. 24,04,000/-

ऋणकर्ता/गारंटर/संपत्ति स्वामी का ध्यान वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(8) के प्रावधान के तहत उपलब्ध समय में प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने की ओर आकर्षित किया जाता है।

स्थान: सागर (म.प्र.)
तिथि: 14/08/2026


प्राधिकृत अधिकारी
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
क्षेत्रीय कार्यालय, सागर
प्राधिकृत अधिकारी
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया